568वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 अप्रैल 2022

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओ के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 568वीं बैठक दिनांक 30/04/2022 को डॉ. पी.सी. दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियों कॉफ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित रहें :—

1. श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य ।
2. प्रो. (डॉ.) रूबीना चौधरी, सदस्य ।
3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य ।
4. प्रो. अनिल प्रकाश, सदस्य ।
5. प्रो. (डॉ.) आलोक मित्तल, सदस्य ।
6. डॉ. जय प्रकाश शुक्ला, सदस्य ।
7. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य ।
8. श्री ए.ए. मिश्रा, सदस्य सचिव ।

सभी सदस्यों द्वारा अक्ष्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :—

1. **Case No 8591/2021 M/s Om Granite, House No. 1, Didwara, Tehsil - Lavkush Nagar, Dist. Chhatarpur, MP Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 2.50 ha. (1,00,000 cum per annum) (Khasra No. 410 (Part)), Village - Churyari, Tehsil - Gaurihar, Dist. Chhatarpur (MP) M/s. Oceao Enviro Management Solution (India) Pvt. Ltd., Ghaziabad (U.P.)**

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 410 (Part)), Village - Churyari, Tehsil - Gaurihar, Dist. Chhatarpur (MP) 2.50 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 506वीं दिनांक 09/08/2021 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी । राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

आज दिनांक 30/04/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री अनूप गुप्ता (ऑन–लाईन) और उनकी ओर श्री के.सी. पाण्डा पर्यावरण सलाहकार उपस्थित हुए । प्रस्तुतीकरण के दौरान यह पाया गया कि खदान के पूर्व दिशा में 1200 मीटर पर आबादी तथा 1000 मीटर पर रोड है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इस खदान की जनसुनवाई के दौरान परिवहन मार्ग का रख–रखाव, ब्लास्टिंग के समय का निर्धारण तथा सामाजिक कल्याण के कार्य (जैसे विद्यालय में फर्नीचर तथा खेल के

मैदान का समतलीकरण एवं वृक्षारोपण) किये जाने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनको उनके द्वारा सी.ई.आर. में शामिल किया गया है । प्रस्तुतीकरण के दौरान यह पाया गया कि :–

- परियोजना प्रस्तावक को खदान 2018 में स्वीकृत हुई है तथा आवंटित लीज क्षेत्र के उत्तर–पश्चिमी हिस्सा में परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन् कार्य किया गया है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि बगल की खदान मालिक द्वारा हमारे क्षेत्र में अज्ञानतावश उत्खनन् कार्य किया है हमारे द्वारा उत्खनन् कार्य नहीं किया गया है । समिति ने निर्देशित किया कि इस संबंध में खनिज अधिकारी का लिखित अभिकथन प्राप्त किया जाये ।
- समिति ने यह भी पाया कि इस लीज क्षेत्र के पश्चिम क्षेत्र में जिस खदान मालिक द्वारा खनन् कार्य किया जा रहा है, उसको गूगल इमेज से देखने पर ऐसा लगता है कि उसके द्वारा पर्यावरणीय संरक्षण के उपाय (जैसेः वृक्षारोपण, गारलेण्ड ड्रेन, सेटलिंग टैंक इत्यादि) नहीं किए गए है । अतः सिया से अनुरोध है कि इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त कर उचित कार्यवाही की जाये ।
- फार्म–02 में पी.एम. 2.5 की इन्क्रीमेंटल नही दी गई, इस बारे में कारण स्पष्ट करें।
- फार्म–02 के बिंदु क्रमांक–17 में एम.एस.डब्ल्यू. की जानकारी नहीं है ।
- फार्म–02 के बिंदु क्रमांक–35 (10) में टॉपस्वाइल शून्य दिखाई गई है जो दिये हुए को–आर्डिनेट की लोकेशन अनुसार सही प्रतीत नहीं होती, अतः इस बावत् स्पष्ट जानकारी दी जाये ।
- फार्म–02 के बिंदु क्रमांक–35 (15) में ग्रीन बेल्ट एरिया नहीं दिखाया गया है इस बारे में कारण स्पष्ट करें ।
- प्रस्तुतीकरण के दौरान यह पाया गया कि ई.आई.ए. रिपोर्ट में पी.एम. 2.5 तथा पी.एम. 10 के परिणाम निर्धारित राष्ट्रीय मानकों से अधिक है तथा इतनी अधिक मात्रा में पाये जाने का समाधान कारक तथ्य परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरणीय सलाहकार प्रस्तुत नहीं किये जा सके ।
- स्पष्ट करें कि इतनी उच्च वेल्यू के कारण क्या है और इसके रोकथाम के लिए क्या अतिरिक्त उपाय (जैसे : फॉगर, आटोमेटिक स्प्रिंकलर, हाईडेनसिटी प्लांटेशन इत्यादि) प्रस्तावित किये गये है ।
- प्रकरण के परीक्षण के समय पाया गया कि ई.आई.ए. के साथ जो दस्तावेज जैसे : विश्लेषण रिपोर्ट अपलोड किये गये है वे पठनीय नहीं है अतः विश्लेषण रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लिया जाना संभव नहीं ।

अतः समिति की अनुशंसा है कि परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरणीय सलाहकार प्रस्तुत ई.आई.ए. में पी.एम. 2.5 तथा पी.एम. 10 के परिणाम निर्धारित राष्ट्रीय मानकों से अधिक तथा प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरणीय सलाहकार समाधान कारक तथ्य प्रस्तुत नहीं किये पाये जाने के कारण खनन् क्षेत्र की एक माह की बेस लाईन पर्यावरणीय मॉनिटरिंग पुनः करें तथा उपरोक्तानुसार तथ्यों को सम्मिलित करते हुए पुनरीक्षित ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकरण के माध्यम से प्रस्तुत करें ।

2. **<u>Case No 8586/2021 M/s Shri Tirupati Minerals, Village - Salhe, Tehsil - Kirnapur, Dist. Balaghat MP Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 3.0 ha. (117638 cum per annum) (Khasra No. 499 (Part)), Village - Salhe, Tehsil - Kirnapur, Dist. Balaghat (MP) M/s. Oceao Enviro Management Solution (India) Pvt. Ltd., Ghaziabad (U.P.)</u>**

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 499 (Part)), Village - Salhe, Tehsil - Kirnapur, Dist. Balaghat (MP) 3.0 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 506वीं दिनांक 09/08/2021 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी । राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

प्रकरण आज दिनांक 30/04/22 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार ऑन लाईन/ऑफ लाईन प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए है । अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते है तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईएए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावें।

3. **<u>Case No 9126/2022 M/s Pacific Mineral Pvt. Ltd, Hathoda, Tehsil - Tirodi, Dist. Balaghat, MP - 481001 Prior Environment Clearance for Manganese Mine in an area of 5.726 ha. (2000 Ton per annum) (Khasra No. 137/6, 137/10, 145, 147, 146/2-3), Village - Hathoda, Tehsil - Tirodi, Dist. Balaghat (MP) M/s. Creative Enviro Services, Bhopal</u>**

This is case of Manganese Mine. The application was forwarded by Online SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 137/6, 137/10, 145, 147, 146/2-3), Village - Hathoda, Tehsil - Tirodi, Dist. Balaghat (MP) 5.726 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.
आज दिनांक 30/04/22 को परियोजना प्रस्तावक और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार (ऑनलाईन) उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, अनुमोदित खनन् योजना, खसरा पंचशाला, फार्म–2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पी.एफ.आर. प्रस्तुत की गई । चूँकि

प्रश्नाधीन प्रकरण मुख्य खजिन मैग्नीज (लीज एरिया 5.726 हे.) होने के कारण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान अनुमोदित माइन प्लॉन में उल्लेखित अक्षांश–देशांस के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान के पश्चिम दिशा में नहर है, अतः नहर की संरक्षण योजना प्रस्तुत की जानी होगी। इसी प्रकार पूर्व दिशा में 55 मीटर पर कच्चा रोड़ है तथा उत्तर दिशा में 280 मीटर पर रोड़ है । खदान क्षेत्र के दक्षिण दिशा में 480 मीटर पर जल निकाय है । प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान यह पाया गया कि लीज क्षेत्र में कुछ लगे है अतः ट्री इंवेट्री मय प्रजाति का नाम उनकी संख्या, ऊचाई एवं गर्थ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाय।

संभागायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 06/4/22 के बिंदु क्रमांक–1 अनुसार प्रश्नाधीन स्थल खसरा नं. 137/6 में स्वीकृत खनिपट्टा सीमा से हथौड़ा बीट क्रमांक 806 वन सीमा की निकटतम दूरी 131 मीटर तथा खसरा नं. 137/10, हथौड़ा बीट के वन कक्ष क्रमांक–551 की वन सीमा से 82 मीटर की दूरी, खसरा नं. 146–147/2–3 के वन कक्ष क्रमांक–551, वन सीमा से 90 मीटर दूरी, खसरा क्रमांक 145, वन कक्ष कमांक–803, वन सीमा से 231 मीटर की दूरी होना बताया गया है । परीक्षण उपरांत वन सीमा की ओर स्वीकृत क्षेत्र में चेनलिंग–फेनसिंग करने, प्रतिबंधित क्षेत्र में स्वयं के व्यय पर सघन वृक्षारोपण करने खदान अवधि तक वृक्षों का संरक्षण करने की शर्त पर अनापत्ति प्रदाय किये जाने का निर्णय लिया गया । उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :–

1. आवंटित क्षेत्र 5.726 हेक्टेयर में से शासकीय एवं निजी भूमि का क्षेत्रफल की जानकारी ।
2. प्रश्नाधीन खदान के पश्चिम दिशा में नहर है, अतः नहर की संरक्षण योजना प्रस्तुत की जानी होगी ।
3. इसी प्रकार पूर्व दिशा में 55 मीटर पर कच्चा रोड़, उत्तर दिशा में 280 मीटर पर रोड़ है तथा खदान क्षेत्र के दक्षिण दिशा में 480 मीटर पर जल निकाय है उसकी संरक्षण योजना प्रस्तुत की जानी होगी ।
4. एकल प्रमाण पत्र में उल्लेखित 10 किलोमीटर की परिधि से संबंधित वन मण्डलाधिकारी का पत्र की प्रति, क्योंकि यह ऑन उपलब्ध नहीं है ।
5. टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
6. प्रस्तावित खदान के 2.5 किलोमीटर की परिधि में कार्यरत सभी खदानो का क्यूमिलेटिव इंपेक्ट असेसमेंट किया जाये तथा ई.आई.ए. रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाये ।
7. यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करे ।
8. लीज क्षेत्र में कुछ लगे है, अतः ट्री इंवेट्री मय प्रजाति का नाम उनकी संख्या, ऊचाई एवं गर्थ संभागायुक्त की समिति अनुशंसा अनुसार प्रदाय की गई शर्तो का अनुपालन एवं ई.एम.पी. उपयुक्त बजट सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।

4. <u>Case No 9122/2022 Shri Naval Singh Kanesh, R/o- Semlifaliya, Village-Ghoghalpur, Tehsil- Sondwa, Dist. Alirajpur, MP - 457888 Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.0 ha. (3800 cum per annum) (Khasra No. 166), Village - Chhotivegalgaon, Tehsil - Sondwa, Dist. Alirajpur (MP)</u>

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by Online SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 166), Village - Chhotivegalgaon, Tehsil - Sondwa, Dist. Alirajpur (MP) 1.0 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 30/04/22 को परियोजना प्रस्तावक और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन् योजना, खसरा पंचशाला, फार्म–2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पी.एफ.आर. एवं ई.एम.पी. प्रस्तुत की गई। प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खजिन शाखा) एकल प्रमाण पत्र क्रमांक 240 दिनांक 14/03/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित नहीं है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांस के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान स्थल के दक्षिण दिशा में 250 मीटर पर नदी एवं पश्चिम दिशा में 200 मीटर पर प्राकृतिक नाला है। खदान क्षेत्र ऊँचा–नीचा (Undulating) है तथा 02 मौसमी नाले भी खदान क्षेत्र से निकल रहे है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इनको चेकडेम, गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग से चेनलाइज कर जमे हुए पानी का निस्तारण किया जावेगा । प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक से निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :–

✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित सी.ई.आर. योजना ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 30/04/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो संतोषजनक पाई गई । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन– 3800 मी^{3} प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 09.19 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 05.48 प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.50 लाख :–

सी.ई.आर. मदद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि रू. में

ग्राम छोटीवेगलगॉव के ऑगनवाड़ी केन्द्र में 1वर्ष तक पोषण आहार का वितरण किया जाएगा।	40,000
सोण्डव, साकड़ी एव अन्य गॉव में जनजातियो द्वारा साग भाजी के पौधे के उपयोग पर स्थानीय विशेषज्ञ के द्वारा दस्तावेजीकरण एवं जन–जागरूकता ।	10,000
योग	**50,000**

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण :

कं.	**प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान**	**पौधों की प्रजातियॉ**	**मात्रा (संख्या में)**
1	बैरियर जोन (9m)	शीशम,बबुल,शीलीस, सीताफल, कस्टार, जंगल जलेबी, चिरौल, आवंला एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ।	600
2.	ग्रामपंचायत छोटीवेगालगॉव के ग्रामवासियों को वितरण हेतु	इमली, आवंला, आम, अमरूद, जामुन, एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातियॉ।	200
3	परिवहन मार्ग **(पेड़ों की न्यूतम ऊंचाई 1 मीटर)**	शीशम, अमलतास, कटल,जामुन, करंज, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ,	380
4	शासकीय विद्यालय छोटीवेगलगॉव में	**कदंब, अमलतास, अशोक, नीम, गुलमोहर।**	20
		कुल	**1200**

5. **Case No 9123/2022 Shri Juned Khan, Owner, H.No. 168, Mohalla, Mahatma Gandhi Marg, Dist. Alirajpur, MP - 457887, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 2.80 ha. (12,350 cum per annum) (Khasra No. 526, 527), Village - Gadwadi, Tehsil - Jhabua, Dist. Jhabua (MP)**

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by Online SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 526, 527), Village - Gadwadi, Tehsil - Jhabua, Dist. Jhabua (MP) 2.80 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 30/04/22 को परियोजना प्रस्तावक और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन् योजना, खसरा पंचशाला, फार्म–2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पी.एफ.आर.एवं ई.एम.पी. प्रस्तुत की गई। प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय

कलेक्टर, (खजिन शाखा) पत्र क्रमांक 289 दिनांक 11/03/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य 02 खदान स्वीकृत/संचालित है, इस प्रकार प्रश्नाधीन खदान को मिलाकर कुल रकबा 4.70 हे. होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांस के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान स्थल के दक्षिण दिशा में 370 मीटर एवं पश्चिम दिशा में 315 मीटर पर रोड़ तथा उत्तर पूर्व दिशा में 430 मीटर पर आबादी है । लीज क्षेत्र के नीचे की ओर कुछ पेड़ लगे है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि जिस क्षेत्र में पेड़ लगे है वहॉ खनन् प्रस्तावित नहीं है जिसको पूर्व से अनुमोदित प्रोडक्शन मेप में दिखाया गया है । प्रकरण के प्रस्तुतीकरणके दौरान पाया गया कि पूरे खनन् क्षेत्र तथा आसापास के क्षेत्र में कंटूर ट्रेंच खुदे है, परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि ये ट्रेंच 2018 से है उनमें कोई वृक्षारोपण नहीं किया गया है तथा खनन् क्षेत्र शासकीय भूमि में है, जो उनको सरकार द्वारा आवंटित की गई है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस क्षेत्र में माईनिंग करके जो पिट बनेगा उससे ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज होगा एवं उनको आवंटित क्षेत्र में बाकी बचे हुए ट्रेंच में उनके द्वारा वृक्षारोपण किया जावेगा । प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक से निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :–

- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित वृक्षारोपण योजना ।
- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार नॉन माईनिंग जोन दिखाते हुए पुनरीक्षित सरफेस मेप ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 30/04/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो संतोषजनक पाई गई । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन– 12,350 मी^{3} प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 11.57 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 1.20 प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.70 लाख :–

ग्राम	सी. ई. आर. मद मे प्रस्तावित गतिविधि	राशि रु. में
गडवाडी	ग्राम गडवाडी स्थित आंगनवाड़ी मे 06 माह तक ''पोषण आहार'' का वितरण	50,000
	आंगनवाड़ी मे मरम्मत कार्य तथा सौन्दर्यीकरण	20,000
	योग	70,000/-

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 3400 वृक्षों का वृक्षारोपण :

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	**आवेदित खदान क्षेत्र में पूर्व से व आस पास उपस्थित ट्रेंचेस मे वृक्षारोपण**	**महुआ, चिरोल , नीम , जंगल जलेबी ,रीठा , सीताफल, खमेर एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां**	2700
2.	**परिवहन मार्ग के दोनों तरफ (पेड़ों की न्यूतम ऊंचाई 1 मीटर)**	**महुआ, सीताफल ,इमली , आवलाँ , अमरुद, मुनगा, पपीता ,निम्बू, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां**	500
3	**गडवाडी ग्रामवासियों में वितरण हेतु**	**करंज, कदम , चिरोल, जंगल जलेबी एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां**	200
कुल			**3400**

6. <u>Case No 9124/2022 Shri Ravindra Singh, Owner, Kothi No. 1, Adarsh Nagar, Pinto Park, Dist. Gwalior, MP - 474005, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 3.190 ha. (10,260 cum per annum) (Khasra No. 468), Village - Damejar, Tehsil - Kailaras, Dist. Morena (MP)</u>

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by Online SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 468), Village - Damejar, Tehsil - Kailaras, Dist. Morena (MP) 3.190 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 30/04/22 को परियोजना प्रस्तावक और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन् योजना, खसरा पंचशाला, फार्म–2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पी.एफ.आर. एवं ई.एम.पी. प्रस्तुत की गई। प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खजिन शाखा) एकल प्रमाण पत्र कमांक 150 दिनांक 08/02/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित है, इस प्रकार प्रश्नाधीन खदान को मिलाकर कुल रकबा 04.410 हे. होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांस के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान स्थल के दक्षिण–पूर्व दिशा में 145 मीटर पर तथा पूर्व दिशा में 270 मीटर पर आबादी है । अतः दक्षिण पूर्व दिशा से 55 मीटर का सेट–बैक छोड़ा जाना चाहिए । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा प्रस्तुतीकरण में 55 मीटर का सेट–बैक पूर्व से ही छोड़ा गया है । इसी प्रकार खदान क्षेत्र के उत्तर–पूर्व दिशा में 80 मीटर पर प्राकृतिक नाला है तथा उत्तर दिशा में 326 मीटर एवं पूर्व दिशा में 80 मीटर पर जल रोकने वाली संरचनायें है ।

खदान के दक्षिण दिशा में 65 मीटर पर कच्चा रोड़ है । प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक से निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :–

- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित वृक्षारोपण योजना ।
- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार नॉन माईनिंग जोन दिखाते हुए पुनरीक्षित सरफेस मेप ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 30/04/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो संतोषजनक पाई गई । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन– 10,260 मी^{3} प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 12.21 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 01.20 प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.70 लाख :–

ग्राम	सी. ई. आर. मद मे प्रस्तावित गतिविधि	राशि रु. में
जौरा (मुरैना)	सामुदायिक स्वस्थ्य केंद्र जौरा हेतु 2000 रुपये दान किये गए तथा आगामी वर्षों में अस्पताल की आवश्यकता अनुसार तथा सुझाव के अंतर्गत व्हीलचेयर व स्ट्रेचर वितरण किये जावेंगे	70,000/-
	योग	70,000/-

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 3800 वृक्षों का वृक्षारोपण :

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	**बैरियर जोन व गैर खनन क्षेत्र**	**गुग्गल , नीम , जंगल , जलेबी ,रीठा , चिरोल , सीताफल , खमेर एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां**	**2000**
2.	**परिवहन मार्ग के दोनों तरफ (पेड़ों की न्यूतम ऊंचाई 1 मीटर)**	**गुग्गल, जंगल जलेबी, करंज, कदम, पुत्रंजीवा, चिरोल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां**	**400**
3	**डमेजर ग्रामवासियों में वितरण हेतु**	**इमली, आवलाँ, सीताफल, अमरुद, मुनगा, पपीता, निम्बू, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां**	**1400**
कुल			**3800**

7. **Case No 9125/2022 Shri Vijay Kumar Jadav, Owner, 03, Nirala Nagar, Badbad Naka, Dist. Ratlam, MP - 457001, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 2.0 ha. (10,260 cum per annum) (Khasra No. 292), Village - Jamthun, Tehsil - Ratlam, Dist. Ratlam (MP)**

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by Online SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 292), Village - Jamthun, Tehsil - Ratlam, Dist. Ratlam (MP) 2.0 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण आज दिनांक 30/04/22 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार ऑन लाईन/ऑफ लाईन प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए है । अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते है तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईएए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावें।

8. **Case No 9127/2022 M/s Dhruv Construction, Plot No. A, 21, Swastik Green City, District - Shahdol, MP - 484001 Prior Environment Clearance Expansion of for Stone Mine in an area of 6.0 Ha.. (From 9793 cum per anuum to 1,15,000 cum per annum) (Khasra no. 18/1 (P)) at Village- Dholar, Tehsil - Jaisinghnagar, Dist. Shahdol (MP) EIA Consultant: Green Circle Vadodara (Guj.)**

This is case of Expansion of for Stone Mine. The application was forwarded by Online SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra no. 18/1 (P)) at Village- Dholar, Tehsil - Jaisinghnagar, Dist. Shahdol (MP) 6.0 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 30/04/22 को परियोजना प्रस्तावक और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार (ऑनलाईन) उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन् योजना, खसरा पंचशाला, फार्म–2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पी.एफ.आर. प्रस्तुत की गई । प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खजिन शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 349 दिनांक 01/04/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य खदान स्वीकृत/संचालित नही है, अपितु प्रश्नाधीन खदान का ही रकबा 06.00 है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान अनुमोदित माइन प्लॉन में उल्लेखित अक्षांश–देशांस के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान के अंदर दक्षिण दिशा में नहर है, अतः नहर से 100 मीटर का

सेट–बैक नॉन माईनिंग जोन के रूप में छोड़ा जाना होगा तथा उसकी संरक्षण योजना प्रस्तुत की जानी होगी । इसी प्रकार खदान के पूर्व दिशा में 120 मीटर पर नहर है। खदान का पश्चिमी भाग खुदा हुआ है चूॅंकि प्रकरण क्षमता विस्तार 9,793 घनमीटर/वर्ष से 1,15,000 घनमीटर/वर्ष क्षमता विस्तार का है । अतः पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो का पालन प्रतिवेदन सक्षम प्राधिकार से प्राप्त कर ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत किया जाना होगा । समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को यह भी निर्देश दिए गए कि खदान के दक्षिण दिशा में नहर होने के कारण तथा नहर से 100 मीटर का सेट–बैक नॉन माईनिंग जोन के रूप में छोड़े जाने के कारण वह सुनिश्चित् कर ले कि बचे हुए भाग से क्या 1,15,000 घनमीटर/वर्ष का पत्थर उत्पादन हो सकेगा, यदि हॉ तो उसकी सम्पूर्ण योजना (प्रोडक्शन प्लॉन) ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत की जाये । उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :–

1. प्रश्नाधीन खदान के अंदर दक्षिण दिशा में नहर है, अतः नहर से 100 मीटर का सेट–बैक नॉन माईनिंग जोन के रूप में छोड़ा जाना होगा तथा उसकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत करें ।
2. प्रकरण क्षमता विस्तार 9,793 घनमीटर/वर्ष से 1,15,000 घनमीटर/वर्ष क्षमता विस्तार का है। अतः पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो का पालन प्रतिवेदन सक्षम प्राधिकार से प्राप्त कर ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत करें ।
3. समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को यह भी निर्देश दिए गए कि खदान के दक्षिण दिशा में नहर होने के कारण तथा नहर से 100 मीटर का सेट–बैक नॉन माईनिंग जोन के रूप में छोड़े जाने के कारण वह सुनिश्चित् कर ले कि बचे हुए भाग से क्या 1,15,000 घनमीटर/वर्ष का पत्थर उत्पादन हो सकेगा, यदि हॉ तो उसकी सम्पूर्ण योजना (प्रोडक्शन प्लॉन) ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत की जाये ।
4. टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
5. प्रस्तावित खदान के 2.5 किलोमीटर की परिधि में कार्यरत सभी खदानो का क्यूमिलेटिव इंपेक्ट असेसमेंट किया जाये तथा ई.आई.ए. रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाये ।
6. यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करे ।

9. Case No 9128/2022 SIDDHIDATRI MINIRALS PRIVATE LIMITED,Director, Shree Prateek Singh Parihar, Sastri Nagar, North Karundiya, Sidhi, Madhya Pradesh-486661 Prior Environment Clearance Nebuha Granite Mine in an area of 3.260 Ha. (Granite - 996 m3/year & Saleable Waste- 6972 m3/year (Khasra no 470, 471/1, 471/2, 471/3, 471/4, 471/5, 471/1283, 472/1, 473/2, 472/3, 472/4, 472/5, 473/1/1,

473/1/2, 473/2, 491, 492, 493/1, 493/2, 494/1, 494/2, 499/1, 499/2, 500/1, 500/2, 500/1/1) at Village- Nebuha, Tehsil - Majhauli, Dist. Sidhi (MP)

This is case of Granite Mine. The application was forwarded by Online SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site Khasra no 470, 471/1, 471/2, 471/3, 471/4, 471/5, 471/1283, 472/1, 473/2, 472/3, 472/4, 472/5, 473/1/1, 473/1/2, 473/2, 491, 492, 493/1, 493/2, 494/1, 494/2, 499/1, 499/2, 500/1, 500/2, 500/1/1 at Village- Nebuha, Tehsil - Majhauli, Dist. Sidhi (MP) 3.260 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 30/04/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री प्रतीक सिंह परिहार और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री उमेश मिश्रा उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन् योजना, खसरा पंचशाला, फार्म–2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पी.एफ.आर. एवं ई.एम.पी. प्रस्तुत की गई। प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खजिन शाखा) एकल प्रमाण पत्र क्रमांक 552 दिनांक 24/03/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित नहीं है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांस के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान स्थल के दक्षिण–पश्चिम दिशा में 50 मीटर पर रोड़, दक्षिण दिशा में 75 मीटर पर तथा पूर्व दिशा में 126 मीटर पर स्केटर्ड हाऊस है । इसी प्रकार उत्तर–पश्चिम दिशा में 35 मीटर पर कच्चा रोड़ तथा 430 मीटर उत्तर–पूर्व दिशा में जल निकाय है। खदान क्षेत्र के पश्चिम भाग से एच.टी. लाईन निकल रही है, अतः लाईन से 50 मीटर का सेट–बैक छोड़ा जाना होगा । प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खदान क्षेत्र में कुल 50 पेड़ लगे है जो कि बबूल, आम एवं नीम प्रजाति के है, जिनमें से 15 पेड़ काटे जायेंगे तथा उसमे एवज में 150 पौधें अतिरिक्त लगाये जावेंगे । प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक से निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :–

- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित सी.ई.आर. योजना ।
- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार नॉन माईनिंग जोन दिखाते हुए पुनरीक्षित सरफेस मेप ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 30/04/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो संतोषजनक पाई गई । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता ग्रेनाईट– 996 m3/year तथा सेलेबल वेस्ट- 6972 m3/year.
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 19.67 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 07.65 प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 07.50 लाख :–

SN	Plan	Activity	Budget In Rs
1	Conduction of Free health check-up Camp on half yearly basis	At village Nebuha and in nearby village	0.50
2	Provision of Milk distribution at Anagwadi	Milk distribution for one year to Aganwadi center of village Nebuuha , Tehsil Majhuali Dist Sidhi (MP)	1.0
3	Provision of Infrastructure facility at School	Construction of One room 10X15feet) with basic facility i.e. solar panel (3kw), two fan, two LED, Two almera, 10 tat fatti etc at Primary school of village Nibhua Tehsil Majhuali Dist Sidhi (MP)	5.00
4	Need based requirement for Primary Health Centre of village- Nibhua	Provision/supply of Need base requirement of PHC in consultation with the Inchagre of PHC at Village-Nibhua Tehsil Majhuali Dist Sidhi (MP)	1.00
		Total	**07.50**

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 5400 वृक्षों का वृक्षारोपण :

Phase	Name of Tree	No. of Plants
1st to 2nd year	Neem, Aam, Sisso, Anwala, Karanj, Babul, Chirol, Khamar and other local species etc. with seed of Neem. Row To Row Distance : 2.5 mtr Plant To Plant Distance 3 mtrs	**1200**
Along with Mining Operation	Karanj, Molshree, Sitafal, Jangal Jalebi, Neem, Chirol, Jamun, Katang Bans, Khamar, and other local species etc.	2800

1st and 2nd year	Munga, Neeem, Mango, Jamfal, Sitafal, Jamun and other local species etc.	1000
1st year	Neem, Karanj, Aam, Putranjeeva, Sisso, Molshree, Jangle Jalebi and other local species etc	400
	Total	**5400**

10. Case No 9129/2022 Shri Hariram Rawat, Owner, Rangwasa, Indore (M.P.) Prior Environment Clearance for Stone & Murrum Quarry in an area of 3.50 ha. (Stone – 32,000 cum per annum, Murrum - 6525 cum per annum) (Khasra No. 1/1), Village - Rawad, Tehsil - Depalpur, Dist. Indore (MP) EIA Consultant: Green Circle Vadodara (Guj.)

This is case of Stone & Murrum Quarry. The application was forwarded by Online SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 1/1), Village - Rawad, Tehsil - Depalpur, Dist. Indore (MP) 3.50 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 30/04/22 को परियोजना प्रस्तावक और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार (ऑनलाईन) उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन् योजना, खसरा पंचशाला, फार्म–2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पी.एफ.आर. प्रस्तुत की गई । प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खजिन शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 914 दिनांक 18/04/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 04 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, इस प्रकार प्रश्नाधीन खदान को मिलाकर कुल रकबा 17.07 हेक्टेयर होता है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान अनुमोदित माइन प्लॉन में उल्लेखित अक्षांश–देशांस के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान के उत्तर दिशा में 90 मीटर तथा पश्चिम दिशा में 235 मीटर पर रोड़ है । इसी प्रकार उत्तर–पश्चिम दिशा में 210 मीटर पर आबादी है । उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :–

1. टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
2. प्रस्तावित खदान के 2.5 किलोमीटर की परिधि में कार्यरत सभी खदानो का क्यूमिलेटिव इंपेक्ट असेसमेंट किया जाये तथा ई.आई.ए. रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाये ।

11. Case No 9130/2022 SHREE ASHOK PATIDAR Village- Khokrakalan, C/O village- Chakranabad, Tehsil- Kalapipal , District - Shajapur, Madhya Pradesh-465337 Prior Environment Clearance Stone Quarry in an area of 1.00 Ha. (5000 cum per annum) (Khasra no 25/16) at Village- Chakranabad, Tehsil - Kalapipal, Dist. Shajapur (MP)

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by Online SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra no 25/16) at Village- Chakranabad, Tehsil - Kalapipal, Dist. Shajapur (MP) 1.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 30/04/22 को परियोजना प्रस्तावक और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन् योजना, खसरा पंचशाला, फार्म–2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पी.एफ.आर. एवं ई.एम.पी. प्रस्तुत की गई। प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खजिन शाखा) एकल प्रमाण पत्र क्रमांक 1261 दिनांक 30/11/21 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित नहीं है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांस के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान स्थल के दक्षिण–पूर्व दिशा में 50 मीटर पर नाला तथा पूर्व दिशा में 235 मीटर पर नदी है । इसी प्रकार पूर्व दिशा में 25 मीटर पर आबादी है, इस कारण 200 मीटर का सेट–बैक छोड़ा जाना होगा । समिति ने पाया कि 200 मीटर का सेट–बैक छोड़े जाने पर खनन् योग्य क्षेत्र उपलब्ध नहीं होगा। परियोजना प्रस्तावक ने प्रस्तुतीक के दौरान बताया कि इस प्रकरण में ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है तथा खनन् कार्य रॉक ब्रेकर के माध्यम से किया जायेगा तथा इस बावत् नई खनन् योजना अनुमोदित कराई गई है । इस कारण पूर्व दिशा में 75 मीटर का सेट–बैक छोड़ा ग या है तथा पुनरीक्षित सरफेस मेप प्रस्तुतीकरण के साथ संलग्न है । समिति ने पाया कि खदान के उत्तरी भाग थोडा सा खुदा हुआ है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि ऊपरी भाग की मिट्टी निकाल लिये जाने के कारण ऐसा दिखा रहा है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन– 5,000 मी^{3} प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 06.80 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 01.00 प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.60 लाख :–

	सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि रू. में
सामुदायिक स्वस्थ्य केंद्र चकरानाबड की आवश्यकता अनुसार तथा सुझाव के अंतर्गत व्हीलचेयर व स्ट्रेचर वितरण किये जावेंगे		**60,000/-**
	योग	**60,000/-**

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण :

वृक्षारोपण योजना		
प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	**पौधों की प्रजातियां**	**संख्या**
बैरियर जोन	**नीम, जंगल जलेबी, रीठा , चिरोल , सीताफल, खमेर एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां**	350
चकरानाबड ग्रामवासियों में वितरण हेतु	**इमली, आवलाँ, सीताफल , अमरुद, मुनगा , पपीता, निम्बू आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां**	500
गैर खनन क्षेत्र में वृक्षारोपण	**नीम, सीताफल , मोलश्री, सिस्सू , आवलाँ, करंज, चिरोल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां**	100
परिवहन मार्ग के दोनों तरफ पेड़ों की न्यूतम ऊंचाई 1 मीटर	**जंगल जलेबी , करंज, कदम, पुत्रंजीवा , चिरोल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां**	250
	योग	1200

12. <u>Case No 9131/2022 SHRI VINAY JAIN, Owner, R/o- 303, Badri Vishal Plaza Road, High Court Lane, Gird District- Gwalior, M.P-474009 Prior Environment Clearance Stone Quarry in an area of 2.000 Ha. (30,000 cum per annum) (Khasra no 1244) at Village- Urhana, Tehsil - Bamour, Dist. Morena (MP)</u>

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra no 1244) at Village- Urhana, Tehsil - Bamour, Dist. Morena (MP) 2.000 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

568वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 अप्रैल 2022

प्रकरण आज दिनांक 30/04/22 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार ऑन लाईन/ऑफ लाईन प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए है । अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते है तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईएए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावें।

(ए.ए. मिश्रा)
सदस्य सचिव

(डॉ. पी.सी. दुबे)
अध्यक्ष